services in coal mines undertaken in accordance with the modernisation plan drawn up in this regard is expected to be completed by the end of 1998. The plan envisaging provision of buildings, equipment, training facilities, staffing pattern etc., compares favourably with those provided in the developed countries.

**Export of Pulses**

1831. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India is perennially short of pulses leading to high prices of pulses;

(b) whether PEPSI wants to export pulses, which can only lead to more serious shortages and still higher prices of pulses;

(c) whether Government would ban export of pulses; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The production of pulses during 1994-95 was around 14.53 million tonnes which was less than the estimated domestic demand.

(b) and (c) A quantitative ceiling of 10,000 MT has been released for export of pulses during 1995-96 for which exporters can apply to the Director General of Foreign Trade.

(d) To maintain India's presence in the international market, a small quantity of pulses have been permitted for exports.

**संसद् सदस्यों के लिये स्थानीय क्षेत्र विकास योजना**

1832. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र के विकास की योजना के अधीन दी गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है अथवा नहीं, कोई केन्द्रीय दल विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) और (ख) देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में लगभग 400 जिले लगे हुए हैं। विभिन्न केन्द्रों में, निधियों के पूर्ण उपयोग का पता लगाने के लिए, एक केन्द्रीय दल को भेजना सम्भव नहीं है क्योंकि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास पर्याप्त मशीनरी/स्टाफ नहीं है। तथापि, विभाग ने 'निकनेट' के माध्यम से प्रगति का प्रबोधन करने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया है तथा आंकड़े अद्यतन एकत्रित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर, योजना की प्रगति के आंकड़े इसमें फीड करेंगे जोकि इस विभाग तथा संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय रूप से पुन: प्राप्त किए जाएंगे। विभाग कभी-कभी नमूना जांच द्वारा प्रगति को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को भेजेगा।

**असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों में जागरूकता**

1833. श्री ईशदत्त यादव:

चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम कानूनों के अधीन किए गये उपबन्धों के बारे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास किये हैं,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार को क्या सफलता मिली है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) जी, हां सरकार ने कामकाजी वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक करने के लिए एक त्रिपक्षीय निकाय के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड इस निमित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां और कैम्प आदि आयोजित करता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए श्रमिकों की संख्या निम्नवत है:--

| वर्ष | प्रशिक्षित किए गए कुल श्रमिकों की संख्या |
|---|---|
| 1991-92 | 174900 |
| 1992-93 | 153563 |
| 1993-94 | 128264 |

उपरोक्त आंकड़ों में असंगठित और लघु क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक, महिला और बाल श्रमिक, अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के श्रमिक शामिल हैं।